न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
वासगीत पर्चा वाद संख्या–126/2012
बैजू साह एवं अन्य बनाम प्रभु साह एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
27/06/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद आवेदन बैजू साह एवं वैजनाथ साह, दोनो पे0–उपेन्द्र साह, ग्राम–चक्का, पो0–गरौल, थाना–मनीगाछी, जिला–दरभंगा की ओर से अंचल अधिकारी, तारडीह द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–01/11–12 से निर्गत पर्चा को निरस्त करने हेतु वाद आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन को प्रतिग्रहित कर निम्न न्यायालय के अभिलेख की माँग करते हुए प्रतिपक्ष के सदस्यों को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, तारडीह के पत्रांक–70 दिनांक–11.02.2013 से निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अभिलेख पर संधारित है। विपक्षी के सदस्यों के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर आवेदन दाखिल किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना। वाद आवेदन के समर्थन में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के दादा पिताम्बर साहु के नाम मौजा चक्का थाना संख्या–226 खाता–45 नया खेसरा सं0–217 नया रकवा 04 डी0 एवं खेसरा सं0–218 नया रकवा 1 डी0 दर्ज है। पुराना खेसरा संख्या–141,142, एवं 143 से नया खाता संख्या–217 एवं 218 बना है। पुराना खाता संख्या–16 खेसरा संख्या–141,142, एवं 143 पराऊ साह के नाम से दर्ज था जो, आवेदक के दादा के ससुर थे जिस पर वे मकानमय सहन के रूप में उपयोग करते थे। पराऊ साह की एक मात्र बेटी लिलिया देवी थी जिसकी शादी आवेदक के दादा पिताम्बर साहु से हुई। पराऊ साह के बाद उनकी वैद्यानिक उत्तराधिकारी उनकी पुत्री अपने पति–पिताम्बर साह के साथ उस मकान में रहने लगी। पराऊ साह के नाम के उक्त जमीन की जमाबन्दी संख्या–11 कायम की गयी जिसके आधार पर सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। पुनरीक्षित सर्वे खतियान में उक्त जमीन का खाता पिताम्बर साह के नाम से खाता सं0–45 खेसरा सं0–216, 217, 218 एवं 356 मकानमय सहन दर्ज हुआ। आवेदक अपनी जीवकोपार्जन के लिए मजदूरी का कार्य करते है, जिस कारण वे घर से बाहर रहते है, घर पर महिला एवं बच्चे रहते है। विपक्षी के सदस्य बेईमानी की नियत से आवेदक के मकान वाली भूमि का अंचल अमला को मेल में लाकर वासगीत पर्चा निर्गत करा लिया गया। अंचल अधिकारी, तारडीह द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–01/11–12 में आवेदक को कोई सूचना दिये बिना ही वासगीत पर्चा निर्गत किया गया। उनका यह भी कहना है कि अंचल अमला ने स्थल का कभी भी निरीक्षण नही किया। न्याय की यह अवधारणा है कि पर्चा निर्गत करने से पूर्व भूधारी को सूचना निर्गत किये जाये। आवेदक को पर्चा निर्गत होने से पूर्व भू–धारी को किसी प्रकार की जानकारी नही दी गयी। आवेदक द्वारा मकान का किराया की माँग किये जाने पर बताया गया कि उन्हें उस जमीन का अंचल	